भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/373

विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.292/03-10-119/2025-26 नवंबर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - विविध) निदेश, 2025 (26 फरवरी 2026 को अद्यतन)

विषय सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

अध्याय II- बेस लेयर की एनबीएफसी (एनबीएफसी-बीएल) पर लागू विविध निदेश 6

अध्याय-III मिडिल लेयर की एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएल) पर लागू होने वाले विविध निदेश........ 14

अध्याय-IV एनबीएफसी- फैक्टर एवं फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी पर लागू विशिष्ट निदेश 15

अध्याय V - अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) पर लागू विशिष्ट निदेश 20

अध्याय-VI निरसन और अन्य प्रावधान 22

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45जेए, 45के, 45एल और 45एम; फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम 12) की धारा 3 (धारा 31ए के साथ पठित) और धारा 6; तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 53) की धारा 30, 30ए, 32 और 33 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रिज़र्व बैंक लोकिहत में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने में रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, तथा किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के कामकाज को निवेशकों और जमाकर्ताओं के हितों के लिए क्षतिकारक तरीके से, अथवा ऐसी एनबीएफसी के हितों के लिए किसी भी प्रकार से प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के उद्देश्य से एतद्द्वारा नीचे निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - विविध) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश उस दिन से प्रभावी होंगे जिस दिन वे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर लगाए जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. इन निदेशों की प्रयोज्यता निम्नानुसार है

(1) यह निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी' और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर स्तर-अनुसार प्रयोज्यता के अधीन, लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो:

(i) बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) के तहत वर्गीकृत एनबीएफसी को अध्याय II के प्रावधानों का पालन करना होगा और मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) या उससे ऊपर के स्तरों में एनबीएफसी को अध्याय II और III का पालन करना होगा, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

(ii) अध्याय II और III में दिए गए प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो यह स्तर-वार प्रयोज्यता के अधीन होंगे,:

(ए) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी;

(बी) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी;

(सी) एनबीएफसी-फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफ़सी- फैक्टर;

(डी) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई;

(ई) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईएफसी;

(एफ) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत आईडीएफ-एनबीएफसी।

(iii) पैरा 6 से 22 और पैरा 24 से 27 में निहित प्रावधान एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एचएफसी पर लागू होंगे।

(iv) पैरा 6, 7, 14, 15, 25 और 26 में निहित प्रावधान बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एमजीसी पर लागू होंगे।

(v) पैरा 6, 7, 8, 14, 15, 25 और 26 में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत एसपीडी के लिए लागू होंगे।

(vi) पैरा 6, 7, 14, 15, 25 और 26 में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पीपी के लिए लागू होंगे।

(vii) पैरा 6, 7, 25 और 26 में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एए के लिए लागू होंगे।

(viii) पैरा 6, 7, 9 से 20 और 25 से 27 में निहित यह निदेश आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी पर लागू होंगे।

(ix) अध्याय IV में निहित प्रावधान फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी पर लागू होंगे।

(x) अध्याय V में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत आईडीएफ-एनबीएफसी पर लागू होंगे।

(2) यह निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं:

(i) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत एनओएफएचसी।

नोट: इन निदेशों के तहत प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में निर्धारित एनबीएफसी के लिए विनियामक संरचना के अनुरूप है।

सी. व्याख्याएं

4. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, यहां दिए गए शब्दों का अर्थ वही होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में उन्हें दिया गया है और जैसा कि परिभाषित किया गया है।

5. इन निदेशों में प्रयुक्त ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम 10) में परिभाषित

हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियमों के अंतर्गत उन्हें दिया गया है। ऐसे कोई अन्य शब्द या अभिव्यक्तियाँ, जो उक्त अधिनियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 में दिया गया है।

अध्याय ।। - बेस लेयर की एनबीएफसी (एनबीएफसी-बीएल) पर लागू विविध निदेश

ए. पते में परिवर्तन, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना

6. एनबीएफसी को पंजीकृत / कॉर्पोरेट कार्यालय के पूर्ण डाक पते, टेलीफोन संख्या और फैक्स संख्या में किसी भी परिवर्तन की घटना से एक महीने के भीतर, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण विभाग, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह पंजीकृत है और विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, रिज़र्व बैंक को सूचित करना चाहिए।

7. एनबीएफसी निम्नलिखित में किसी भी परिवर्तन की घटना से एक महीने के भीतर यह सूचित करेगा:

(1) कंपनी के निदेशकों के नाम और आवासीय पते;

(2) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम और आधिकारिक पदनाम;

(3) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता; और

(4) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर।

रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह पंजीकृत है।

बी. सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों / सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

8. एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित किए गए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सांविधिक लेखा परीक्षक) निदेश, 2026 में निहित निदेशों का पालन करना होगा। हालाँकि, 1,000 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाले जमा स्वीकार न करने वाले एनबीएफसी के लिए अपनी मौजूदा प्रक्रिया जारी रखने का विकल्प है।

सी. एनबीएफसी द्वारा निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाना

9. एनबीएफसी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन पर निम्नानुसार दिए गए दिशानिदेशों का पालन करेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान जहां भी विरोधाभासी नहीं हैं, वहां लागू होंगे।

सी.1 एनबीएफसी द्वारा एनसीडी (एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि) के निजी नियोजन पर दिशा निर्देश

10. एनबीएफसी स्रोत योजना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निजी नियोजन की योजना का दायरा और प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता शामिल होगी।

11. इन मुद्दों को निम्नलिखित निदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:

(1) प्रति निवेशक न्यूनतम सदस्यता 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) होगी

(2) एनसीडी के निजी प्लेसमेंट का निर्गमन दो अलग-अलग श्रेणियों में होगा, जिनकी प्रति निवेशक अधिकतम सदस्यता राशि ₹1 करोड़ से कम है और जिनकी प्रति निवेशक न्यूनतम सदस्यता राशि ₹1 करोड़ या उससे अधिक है;

(3) अधिकतम ₹1 करोड़ से कम की सदस्यता के साथ एनसीडी जारी करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 200 अभिदाताओं की सीमा होगी, और ऐसी सदस्यता पूरी तरह से सुरक्षित होगी;

(4) न्यूनतम 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सदस्यता वाले निर्गमों के संबंध में अभिदाताओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी; अभिदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति बनाने का विकल्प जारीकर्ताओं के पास होगा। ऐसे अरक्षित डिबेंचरों को इन निदेशों में परिभाषित सार्वजनिक जमा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(5) एनबीएफसी केवल अपने तुलन पत्र पर निधिराशि लगाए जाने पर ही डिबेंचर जारी करेगी तथा समूह संस्थाओं / मूल कंपनी / अनुषंगियों के संसानिधि अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिबेंचर जारी नहीं करेगी।

(6) एनबीएफसी अपने स्वयं के डिबेंचरों (निजी प्लेसमेंट या सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी) की सुरक्षा के एवज में ऋण नहीं देगी।

12. एनबीएफसी द्वारा ऑफर किए गए कर छूट वाले बांड को परिपत्र की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

13. एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले एनसीडी के लिए, रिज़र्व बैंक के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग द्वारा जारी 'मास्टर निदेश - रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश 2024' दिनांक 03 जनवरी, 2024 (समय-समय पर संशोधित) में निहित निदेश लागू होंगे।

सी.2 एनयूसीएफडीसी (प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन) द्वारा इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन पर निर्देश

13ए. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) नीचे दी गई शर्तों के अधीनस्थ एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 200 से अधिक व्यक्तियों को निजी प्लेसमेंट के आधार पर अपने इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने की पेशकश या आमंत्रण दे सकता है:

(1) एनयूसीएफडीसी के पास संसाधन नियोजन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नियोजन दायरा और निजी नियोजन की आवधिकता शामिल है।

(2) इन दिशा-निर्देशों के तहत इक्विटी शेयरों के निजी नियोजन के लिए प्रस्ताव/आमंत्रण केवल शहरी सहकारी बैंकों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को ही दिया जाएगा।

(3) प्रस्ताव दस्तावेज में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि शहरी सहकारी बैंकों को प्रस्ताव के अंतर्गत इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करते समय सभी लागू सांविधिक अपेक्षाओं के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

(4) एनयूसीएफडीसी अपने स्वयं के शेयरों की सिक्योरिटी पर कोई ऋण या अग्रिम या किसी अन्य प्रकार का वित्तीय समायोजन नहीं करेगा।

(5) इन दिशा-निर्देशों के तहत जुटाई गई शेयर पूंजी की आय का उपयोग रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित एनयूसीएफडीसी के अधिदेश के अनुरूप उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(6) इन निदेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एनयूसीएफडीसी प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के संबंध में सभी लागू सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(7) एनयूसीएफडीसी एक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को एक तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जुटाई गई इक्विटी की राशि, अभिदाताओं की संख्या और श्रेणी और अभिदान राशि (तिमाही के दौरान और संचयी रूप से) शामिल है।

13बी. पैराग्राफ 13ए में निहित निर्देश जारी होने की तारीख से 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेंगे, जब तक कि रिज़र्व बैंक द्वारा पहले संशोधित या वापस नहीं लिया जाता है या आगे नहीं बढ़ाया जाता है।

डी. एकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिदेश

14. एनबीएफसी- एकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025 में सूचित किए गए अनुसार किसी ग्राहक की वित्तीय जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित करता है । यह जानकारी अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के पास होती है, जो वित्तीय क्षेत्र के अलग-अलग विनियामकों के तहत आती हैं और जो अलग-अलग आईटी प्रणाली और इंटरफ़ेस का इस्तेमाल करती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा का यह लेन-देन सुरक्षित, सही तरीके से अधिकृत, आसान और बिना किसी रुकावट के हो, एए पारिस्थितिकी में शामिल लोगों के लिए कुछ मुख्य तकनीकी निर्देश तय करने का फ़ैसला किया गया है। रिज़र्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT) ने ये निर्देश तैयार किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट (www.rebit.org.in) पर प्रकाशित किया है।

15. वित्तीय सूचना प्रदाताओं या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं के रूप में कार्य करने वाले एनबीएफसी से समय-समय पर अद्यतन किए गए रेबिट द्वारा प्रकाशित तकनीकी विशिष्टताओं को अपनाने की उम्मीद है।

ई. **साझेदारी फर्मों में एनबीएफसी भागीदार बनने में मनाही**

16. कोई भी एनबीएफसी किसी साझेदारी फर्म की पूंजी में अंशदान नहीं देगी या ऐसी फर्म का भागीदार नहीं बनेगी।

17. साझेदारी फर्मों में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) भी शामिल होगी।

18. उपर्युक्त प्रतिबंध व्यक्तियों के संघ के संबंध में भी लागू होंगे क्योंकि यह साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के हैं।

19. वह एनबीएफसी जिसने पहले से ही एक साझेदारी फर्म / एलएलपी / व्यक्तियों के संघ की पूंजी में योगदान दिया था या किसी साझेदारी फर्म / एलएलपी का भागीदार है अथवा व्यक्तियों के संघ का सदस्य है, उसे साझेदारी फर्म / एलएलपी / व्यक्तियों के संघ से शीघ्र निवृत्त होना चाहिए।

एफ. एनबीएफसी के वित्तीय उत्पादों की रेटिंग

20. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति वाले एनबीएफसी को उनके द्वारा जारी किसी भी वित्तीय उत्पाद की रेटिंग में ऐसे बदलाव के पंद्रह दिनों के भीतर, उनके पंजीकृत कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को रेटिंग के डाउनग्रेडिंग / अपग्रेडिंग के बारे में जानकारी देनी होगी।

जी. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंकों के पास सावधि जमा की गणना न करना

21. सावधि जमा में निवेश को वित्तीय आस्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा तथा बैंकों के पास सावधि जमा पर ब्याज आय की प्राप्ति को वित्तीय आस्तियों से आय के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45- (सी) में उल्लिखित गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, बैंक जमाओं में मुद्रा सदृश जमाएं शामिल होती और इनका उपयोग केवल निष्क्रिय निधियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जा सकता है; और/या उन मामलों में, जहाँ एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता—यानी ₹10 करोड़ के एनओएफ—को पूरा करने के लिए निधियों को शुरू में सावधि जमा में रखा जाता है, जब तक कि एनबीएफआई का कारोबार आरंभ नहीं हो जाता।

एच. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का उपयोग

22. एनबीएफसी को अपने दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के उपयोग में वृद्धि करने, उत्तर-दिनांकित चेक को समाप्त करने और धीरे-धीरे चेक को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे, जिसके परिणामस्वरूप लागत-प्रभावी लेनदेन होगा तथा निपटान भी गति से और सटीक होगा।

आई. उत्तर-दिनांकित चेक (पीडीसी) / समान मासिक किस्त (ईएमआई) चेक का नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) (डेबिट) में माइग्रेट करना

23. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के तहत उपलब्ध संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जो अपर्याप्त निधि के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण निर्देशों के अनादर के विरुद्ध प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) को वही अधिकार और उपाय प्रदान करता है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत उपलब्ध हैं, एनबीएफसी को, NACH (डेबिट) जनादेश के अलावा ग्राहकों से अतिरिक्त चेक, यदि कोई हो, लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों से नए/अतिरिक्त पीडीसी या ईएमआई चेक स्वीकार न करें। सीटीएस-2010 मानक प्रारूपों का अनुपालन करने वाले चेक केवल उन स्थानों पर प्राप्त किए जाएंगे, जहां एनएसीएच की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जे. ऋण राशि का नकदी संवितरण

24. एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसएस और 269टी के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

के. **वर्चुअल करेंसी (वीसी) में लेनदेन के लिए ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी**

25. मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में यह बात आई है कि विनियमित संस्थाओं ने आरबीआई के दिनांक 06 अप्रैल, 2018 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18, का संदर्भ देते हुए अपने ग्राहकों को वर्चुअल करेंसी में लेन-देन करने के प्रति आगाह किया है। विनियमित संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त परिपत्र का इस प्रकार संदर्भ देना उचित नहीं है, क्योंकि इस परिपत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 04 मार्च, 2020 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 528/2018 (इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक) के मामले में रद्द कर दिया गया था। अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, यह परिपत्र सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से अब वैध नहीं रह गया है, और इसलिए इसका संदर्भ या उद्धरण नहीं दिया जा सकता है।

26. हालाँकि, एनबीएफसी, विदेशों में निधि विप्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंनिधि अधिनियम(फेमा) के संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अपने ग्राहक को जानिए) , 2025 में निर्धारित 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों, निधि शोनिधि निवारण (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और निधि शोनिधि निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के तहत विनियमित संस्थाओं के दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की उचित जाँच-पड़ताल की प्रक्रियाएँ जारी रख सकती हैं।

एल. लेन-देन को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करना

27. एनबीएफसी के सभी लेनदेन, जिसमें जमा पर ब्याज का भुगतान / अग्रिम पर ब्याज का शुल्क शामिल है, निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहकों द्वारा जारी किए गए चेक / ड्राफ्ट जिनमें रुपये के अंश होते हैं, उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाए।

एम. एनबीएफसी द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान

28. सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करना शुल्क-आधारित सेवा है और इसे एनबीएफसी द्वारा किए गए वित्तीय व्यवसाय के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाएगा। एनबीएफसी जो सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान कर रही हैं या इसे प्रदान करने का इरादा रखती हैं, वे अपने ग्राहकों को इसका प्रकटीकरण करेंगे कि यह गतिविधि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है।

एन. फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग कर धोखाधड़ी करने का प्रयास - कार्यप्रणाली

29. धोखाधड़ी के मामले रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाए गए हैं, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कुछ बैंक शाखाओं द्वारा जारी किए गए बैंक गारंटी (बीजी) को अन्य वाणिज्यिक बैंकों / कुछ लाभार्थी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया था। बैंक गारंटी को सुनिश्चिति सूचना / स्वीकृति सूचना के साथ प्रस्तुत

किया गया था। लाभार्थियों में से एक रिपोर्टिंग बैंक का ग्राहक था। शेष लाभार्थी और आवेदक न तो बैंक के ग्राहक थे और न ही बैंक शाखा के अधिकारियों के परिचित थे।

30. उक्त बीजी की जांच से पता चला कि यह बैंक गारंटी फर्जी थीं और बीजी पर किए गए बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर जाली थे। बीजी जारी करने वाली बैंक शाखाओं ने भी पुष्टि की कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यहां तक कि बीजी का प्रारूप और उनकी क्रम संख्या भी बैंक के साथ मेल नहीं खाते थे।

31. एनबीएफसी ऐसे मामलों का निपटान करते समय समुचित सावधानी बरतने के लिए उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यान देंगे।

अध्याय-III मिडिल लेयर की एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएल) पर लागू होने वाले विविध निदेश

ए. अधिकृत डीलर के रूप में लाइसेंसिंग- श्रेणी II

32. जनसामान्य को उनके दिन-प्रतिदिन के गैर-व्यापार चालू खाता लेनदेन के लिए विस्तारित विदेशी मुद्रा सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए, जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी-आईसीसी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन अधिकृत डीलर-श्रेणी (एडी श्रेणी 2) लाइसेंस के लिए पात्र होंगी:

(1) ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली एनबीएफसी के पास 'न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग' होनी चाहिए।

(2) ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाली एनबीएफसी निम्नलिखित संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगी:

(i) मुद्रा जोखिम, यदि कोई हो, सहित ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों का प्रबंनिधि करना; और

(ii) ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करना।

33. ऐसी सेवाओं के लिए कम से कम मासिक अंतराल पर एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

34. एडी-श्रेणी II संबंधी गतिविधियां करने के इच्छुक पात्र एनबीएफसी एडी-श्रेणी II लाइसेंस के लिए रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करेंगे।

अध्याय-IV एनबीएफसी- फैक्टर एवं फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी पर लागू विशिष्ट निदेश

35. एनबीएफसी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी के लिए इस अध्याय में निहित निदेश, रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के लिए जारी किए गए अन्य प्रासंगिक निदेशों के अतिरिक्त हैं और उनके प्रतिस्थापन में नहीं हैं।

ए. पंजीकरण

36. फैक्टरिंग व्यवसाय करने के उद्देश्य से प्रत्येक कंपनी फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में सीओआर के अनुदान के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करेगी और इन निदेशों के पैरा 42 में उल्लिखित प्रमुख व्यवसाय का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

37. फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए इच्छुक कोई भी मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी, यदि निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है तो वह फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्ति के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करेगी:

(1) सार्वजनिक जमा स्वीकार या धारण नहीं करना;

(2) अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की कुल आस्तियां;

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में निर्धारित एनओएफ आवश्यकता को पूरा करना।

(4) विनियामक अनुपालन

38. कोई भी मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी जो उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करती है लेकिन फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए इच्छुक है तो वह एनबीएफसी-आईसीसी से एनबीएफसी-फैक्टर में रूपांतरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करेगी। ऐसी एनबीएफसी-आईसीसी इन निदेशों के पैरा 42 में निर्दिष्ट प्रमुख व्यवसाय का अनुपालन करेंगी।

39. उपर्युक्त पैरा 38 में वर्णित रूपांतरण के लिए,एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में नए पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी सहायक दस्तावेजों सहित तथा आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी-आईसीसी को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल सीओआर लौटाकर,आवेदन प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

40. फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत यदि कोई इकाई रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत नहीं है तो भी वह फैक्टरिंग कारोबार कर सकती है, यदि वह इकाई फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 5 में उल्लिखित कोई इकाई, अर्थात कोई बैंक या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत स्थापित कोई निकाय निगम, या कोई सरकारी कंपनी है।

41. एनबीएफसी-फैक्टरिंग या एनबीएफसी-आईसीसी जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा सीओआर प्रदान किया गया है, तो वह सीओआर प्रदान करने की तारीख से छह महीने के भीतर फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करेगी।

ए. एनबीएफसी के लिए प्रमुख कारोबार - फैक्टर

42. एनबीएफसी-फैक्टर यह सुनिश्चित करेगी कि फैक्टरिंग व्यवसाय में उसकी वित्तीय आस्तियों की लागत उसकी कुल आस्तियों के कम से कम 50 प्रतिशत हों और फैक्टरिंग व्यवसाय से प्राप्त आय उसकी सकल आय का 50 प्रतिशत से कम न हो।

बी. व्यापार और विवेकपूर्ण विनियमों का परिचालन

43. एनबीएफसी-फैक्टर अथवा एनबीएफसी-आईसीसी जिन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों और दिशानिदेशों के अनुसार फैक्टरिंग व्यवसाय का संचालन करेंगे।

सी. आस्ति वर्गीकरण

44. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निहित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अलावा, एनबीएफसी-फैक्टर या एनबीएफसी-आईसीसी जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है, फैक्टरिंग के तहत अधिग्रहित प्राप्य जो देय तिथि की निम्नलिखित उल्लिखित अवधि के लिए अतिदेय है, उसे इस बात की परवाह किए बिना कि एनबीएफसी-फैक्टर द्वारा प्राप्य का अधिग्रहण कब किया गया है अथवा फैक्टरिंग "अवलंब लेकर" अथवा "अवलंब लिए बिना" आधार पर किया गया है, उसे एनपीए के रूप में माना जाएगा,:

	एनपीए मानदंड
एनबीएफसी- ₹500 करोड़ से कम आस्ति आकार वाले फैक्टर	180 दिनों से अधिक
एनबीएफसी- ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति अथवा एनबीएफसी-आईसीसी जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है	90 दिनों से अधिक

45. अनुच्छेद 44 में उल्लिखित एनपीए वर्गीकरण के लिए 180 दिनों से अधिक की अवधि को भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 के पैरा 44 में

निर्धारित मार्गदर्शी राह के साथ लागू एनबीएफसी के लिए 90 दिनों से अधिक की अतिदेय अवधि में परिवर्तित कर दिया गया है।

46. जिस इकाई पर एक्सपोजर बुक किया गया था, उसे एनपीए के रूप में दिखाया जाएगा और तदनुसार प्रावधान किया जाएगा।

डी. एक्सपोजर की गणना

47. एक्सपोजर मानदंडों को निम्नानुसार माना जाएगा:

(1) "अवलंब लेना" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, समनुदेशक पर एक्सपोजर की गणना की जाएगी।

(2) "अवलंब लिए बिना" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, ऋण जोखिम कवर / रक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद, एक्सपोजर की गणना देनदार पर की जाएगी, सिवाय अंतर्राष्ट्रीय फैक्टरिंग के मामलों में जहां संपूर्ण क्रेडिट जोखिम आयात फैक्टर द्वारा माना गया है।

ई जोखिम प्रबंधन

48. एनबीएफसी-फैक्टर या फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किए गए पात्र एनबीएफसी-आईसीसी द्वारा फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले उचित और पर्याप्त नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा।

49. एनबीएफसी-फैक्टर किसी भी फैक्टरिंग व्यवस्था में प्रवेश करने से पूर्व अथवा निर्यात फैक्टर सह क्रेडिट लाइन स्थापित करने से पहले देनदारों का संपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन करेगा।

50. वास्तविक व्यापार लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने वाले चालानों के संबंध में फैक्टरिंग सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

51. चूंकि "अवलंब लिए बिना" फैक्टरिंग लेनदेन के तहत, एनबीएफसी देनदार पर क्रेडिट जोखिम का हामीदारी कर रहा है, इसलिए ऐसी सभी हामीदारी प्रतिबद्धताओं के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित बोर्ड-अनुमोदित सीमा निर्धारित होगी।

52. एनबीएफसी-फैक्टर और बैंक सामान्य उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। सूचना के आदान-प्रदान के प्रयोजन से, समनुदेशक को उधारकर्ता माना जाएगा। एक एनबीएफसी-फैक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि वह उधारकर्ता को स्वीकृत सीमाओं की जानकारी संबंधित बैंकों/एनबीएफसी को दे और उन ऋणों के विवरण को दे ताकि दोहरे वित्तपोषण से बचा जा सके।

एफ. निर्यात / आयात फैक्टरिंग

53. विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (एफईडी) फेमा, 1999 के तहत फैक्टर को अधिकार प्रदान करता है।

54. एनबीएफसी-फैक्टर या एनबीएफसी-आईसीसी जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है, जो निर्यात / आयात फैक्टरिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा में व्यवहार करना चाहता है, वह विदेशी मुद्रा में व्यवहार करने के लिए फेमा, 1999 के तहत आवश्यक प्राधिकार के लिए एफईडी को आवेदन करेगा और एफईडी, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों और फेमा या उसके तहत समय-समय पर बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निदेशों या आदेशों के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

अध्याय V - अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) पर लागू विशिष्ट निदेश

55. आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए इस अध्याय में निहित अनुदेश इन निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक निदेशों के अतिरिक्त हैं तथा उनके प्रतिस्थापन में नहीं हैं।

56. आईडीएफ की स्थापना या तो एक ट्रस्ट के रूप में या एक कंपनी के रूप में की जाएगी।

57. ट्रस्ट आधारित आईडीएफ को आईडीएफ-म्यूचुअल फंड (एमएफ) के रूप में पंजीकृत किया जाता है और यह सेबी द्वारा विनियमित होता है, जबकि एक कंपनी आधारित आईडीएफ को आईडीएफ-एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और यह रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है।

ए. निधि जुटाना

58. आईडीएफ-एनबीएफसी को न्यूनतम पांच साल की परिपक्वता वाले रुपये या डॉलर मूल्यवर्ग के बॉण्ड जारी कर निधि जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

59. बेहतर आस्ति-देयता प्रबंनिधि (एएलएम) की सुविधा के लिए, आईडीएफ-एनबीएफसी अपनी कुल बकाया उधारियों के 10 प्रतिशत तक की सीमा तक घरेलू बाजार से कम अवधि वाले बांड और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के माध्यम से निधि जुटा सकता है।

60. बॉण्ड जारी किए जाने के अलावा, कोई आईडीएफ-एनबीएफसी बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के तहत ऋण मार्ग के माध्यम से भी निधि जुटा सकता है।

बशर्ते कि इस तरह के उधार न्यूनतम पांच साल की अवधि के अधीन होंगे और ईसीबी ऋण भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से प्राप्त नहीं किए जाए।

61. ईसीबी के संबंध में, किसी आईडीएफ-एनबीएफसी को विदेशी मुद्रा विभाग, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

बी. एनबीएफसी द्वारा आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजन को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश

62. एनबीएफसी सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा, निम्नलिखित शर्तों (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर) के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से कोई एनबीएफ़सी आईडीएफ-एमएफ को प्रायोजित (म्यूचुअल फंड के लिए सेबी विनियमों द्वारा परिभाषित प्रायोजन) करने के लिए पात्र होगा:

(1) एनबीएफसी के पास न्यूनतम एनओएफ ₹300 करोड़ और सीआरएआर 15 प्रतिशत होना चाहिए;

(2) इसका निवल एनपीए निवल अग्रिमों के तीन प्रतिशत से कम हो;

(3) यह कम से कम पांच वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए;

(4) यह पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा हो और इसका प्रदर्शन संतोषजनक हो

(5) आईडीएफ-एमएफ में एनबीएफसी के निवेश के पश्चात सीआरएआर इसके लिए निर्धारित विनियामक न्यूनतम से कम नहीं होगा;

(6) एनबीएफसी प्रस्तावित आईडीएफ-एमएफ में निवेश के लिए लेखांकन के बाद एनओएफ का आवश्यक स्तर बनाए रखना जारी रखेगा;

(7) एनबीएफसी के संबंध में कोई पर्यवेक्षी चिंताएँ नहीं होनी चाहिए।

63. जो एनबीएफसी उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, वह आईडीएफ-एमएफ को प्रायोजित करने के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए प्रवाह पोर्टल के माध्यम से विनियमन विभाग, रिज़र्व बैंक से संपर्क करेगा।

अध्याय-VI निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

64. इन निदेशों के जारी होने के साथ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले विविध पहलू से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश संबंधित निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से संप्रेषित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

65. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई उन्हीं के प्रावधानों द्वारा संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत प्रदत्त सभी अनुमोदन या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा संचालित मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

(1) इसके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और किसी भी ऐसे जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और किसी भी ऐसे जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो उन निदेशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं

66. इन निदेशों के प्रावधान लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अप्रभावी करने वाले।

सी. व्याख्याएं

67. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभाव देने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो यहाँ शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक